

[30/7/2025]

41

माननीय मंत्री जी का कार्यान्तर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये। यह व्यवस्था समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित है।

2/ ट्रेप अधिनियम के प्रकरणों में पकड़े गये अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के संबंध में उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही की जाकर उसकी सूचना संबंधित जांच एजेंसी एवं सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-10) के साथ-साथ आयुक्त, जनसंपर्क विभाग को भी दी जावे।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(विजया श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 23/02/2012

पृ. क्रमांक एफ 11-19/2011/1-10

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म0.प्र0 शासन, भोपाल।
2. सचिव, लोकआयुक्त संगठन, म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
4. महानिदेशक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल, म.प्र.।
6. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, म.प्र.।
8. आयुक्त, जनसंपर्क, म0प्र0 भोपाल।
9. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

उप संचालक (विज्ञापन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
म.प्र.